(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2364–एक / 16 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.09.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला विदिशा प्रकरण कमांक 07 / अपील / 2012–13

---

1. गिरीश कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्णगोपाल
2. भगवतीबाई विधवा स्व0 श्री कृष्णगोपाल
3. ममता गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल
   निवासी कृषि सेवा केन्द्र, सब्जीमण्डी,
   हरदा (म.प्र.)
4. चित्रा मित्तल पत्नि श्री कमलकुमार मित्तल
   निवासी 79, मुरारी मोहल्ला इन्दौर (म.प्र.)
5. रेखा बंसल पत्नि श्री हरओम बंसल
   निवासी मालवी व्रिज स्कूल के पास,
   हाथीवाड़ा इन्दौर (म.प्र.)
6. शिखा बंसल पत्नि श्री योगेश कुमार अग्रवाल
   निवासी गणेश वर्तन भण्डार, बुधवारिया बाजार
   हीरापुर जिला राजगढ (म.प्र.)
7. रुचि अग्रवाल पत्नि श्री नरेन्द्र अग्रवाल
   निवासी 106, गुप्ता कॉलोनी महू इन्दौर (म.प्र.)
8. गणेशराम पुत्र श्री देवीराम
   निवासी ग्राम छीरखेड़ा तह0 व जि0 विदिशा (म.प्र.)
9. सुरेश कुमार पुत्र श्री नंदलाल
   निवासी ग्राम अमझिरा तह0 हुजर जिला भोपाल (म.प्र.)
10. नंदलाल पुत्र दुलीचंद
    निवासी ग्राम अमझिरा तह0 हुजर जिला भोपाल (म.प्र.) ....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. घनश्याम
2. राधे
3. कमल
4. पतंगबाई
   सभी पुत्र एवं पुत्रियां फुल्ला गोंड़, निवासीगण
   ग्राम छीरखेड़ा, तह0 व जिला विदिशा (म.प्र.)

5. मुन्ना (मृत) कोई वारिसान नहीं
6. बटन (मृत) वारिसान
(अ) करण पुत्र बटन आयु 15 वर्ष
(ब) सूरज पुत्र बटन आयु 8 वर्ष
(स) लक्ष्मीबाई पुत्री बटन आयु 12 वर्ष
(द) कलाबाई पुत्री बटन आयु 14 वर्ष
अ,ब,स,द अवयस्क द्वारा संरक्षक घनश्याम पुत्र
फूल्ला समस्त निवासी ग्राम छीरखेड़ा, तह0 व जिला विदिशा (म.प्र.)
7. चुन्नी पुत्र बुटइयां आदिवासी
8. पन्नालाल
9. भीकमसिंह
10. गजराज सिंह
तीनो पुत्रगण स्व0 सेवा निवासीगण ग्राम छीरखेड़ा, तह0
व जिला विदिशा (म.प्र.)
11. . हल्कू पुत्र बुटइयां (मृत) वारिसान
(अ) श्रीमती धन्याबाई बेवा हल्कू आयु 60 वर्ष
(ब) पानबाई पुत्री हल्कू आयु 35 वर्ष
(स) राधाबाई पुत्री हल्कू आयु 32 वर्ष
(द) मोहनबाई पुत्री हल्कू आयु 29 वर्ष
(ई) कमलाबाई पुत्री हल्कू आयु 25 वर्ष
निवासीगण ग्राम छीरखेड़ा, तह0 व जिला
विदिशा (म.प्र.) ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव

अनावेदक क. 1 से 4 एवं 7 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सिंह ठाकुर

आदेश

(आज दिनांक 14/11/2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 07 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संहिता की धारा 170–ख के प्रावधानों के तहत राजस्व निरीक्षक स्तरीय गठित समिति के द्वारा अनुविभागीय

अधिकारी के समक्ष दिनांक 07.05.1982 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम छीरखेड़ा स्थित प्रश्नाधीन भूमि आदिवासी बुटईंया फोत, फुल्ला, बेरा, चुन्नी, सेवा व हलका पुत्र बुटईंया जाति गोंदिया के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज थी। अब यह भूमि कृष्णगोपाल पुत्र अमरचंद जाति महेश्वरी निवासी विदिशा के कब्जे में है। भूमि कैसे प्राप्त हुई, इसका कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। समिति ने संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित बताया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 23.08.1985 द्वारा प्रतिवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा कलेक्टर विदिशा के यहां अपील पेश की गई। कलेक्टर विदिशा ने अपील में दिनांक 20.01.1986 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का 23.03.1985 का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानियां क्रमशः अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त की गईं। राजस्व मण्डल के आदेश के विरुद्ध कृष्णगोपाल आदि द्वारा पुनरावलोकन प्र.क्र. 1934/2000 प्रस्तुत किया गया, जो राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 19.09.2007 द्वारा निरस्त किया गया। राजस्व मण्डल से प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 17.08.09 द्वारा राजस्व निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अमान्य किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई, जिसमें अपर कलेक्टर ने दिनांक 22.09.2015 को आदेश पारित करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया एवं प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 27 रकवा 1.087, सर्वे क्र. 34 रकवा 2.049, सर्वे क्र. 64 रकवा 0.293 एवं सर्वे क्र. 66 रकवा 0.575 हे. पर दर्ज समस्त नामांतरण निरस्त करते हुए बुटईंया आदिवासी के विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश की गई है।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उठाए गए बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर ने

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि संवत 2006 के खसरे में खसरा नं. 45 के सामने बुटईया बशरह नं. 10 मद्दत 3 साल अंकित है। वर्ष 1959 के पूर्व विवादित भूमि आदिवासी बुटईया के नाम मौरुसी स्वत्व पर दर्ज होने के कारण उसे भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त होना माना है, जो अपने स्थान पर उचित है। अपर कलेक्टर ने अभिलेख के आधार पर यह भी पाया है कि बुटईया के नाम की प्रविष्टि बिना किसी सक्षम अधिकारी के प्रकरण एवं आदेश के विलोपित की गई है जो कि आदिवासी के साथ हुए छल–कपट को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। उक्त कारणों से अपर कलेक्टर ने प्रकरण में बुटईया आदिवासी का नाम कपटपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर विलोपित किया जाना मानते हुए संहिता की धारा 170 (ख) का स्पष्ट उल्लंघन माना है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किए जाने के कारण अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.08.2009 को निरस्त करते हुए विवादित भूमियों पर बुटईया आदिवासी के विधिक वारिसानों (अनावेदकगण) का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर के आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उनके आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो। अपर कलेक्टर का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक और विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2015 स्थिर रखा जाता है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर